

# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 58 / 2023 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ० मदनलाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री विनोद कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभुदयाल सैनी एफ.बी.ओ. मैसर्स कर्मा ट्रेडिंग कम्पनी रेल्वे लाईन के पास जडाव फाटक भलका बास दौसा निवासी रेल्वे लाईन के पास जडाव फाटक भलका बास दौसा ।

2. श्री टीकम चन्द गुप्ता पुत्र श्री विष्णु लाल एफ.बी.ओ. मैसर्स घनश्याम दास एण्ड ब्रदर्स सिटी पावर हाउस के सामने कोतवाली रोड हिन्डौन सिटी जिला करौली निवासी भायला पुरा हिन्डौन सिटी जिला करौली ।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस की धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं दंडनीय धारा 51 एफएसएस रूल्स 2011 उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।

: अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित ।

—: आदेश :-

दिनांक:- 07.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ० मदनलाल गुजर ने दिनांक 10.05.2023 को 12:11 पीएम पर मैसर्स:-कर्मा ट्रेडिंग कम्पनी रेल्वे लाईन के पास जडाव फाटक भलका बास दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां श्री विनोद कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभु दयाल सैनी मिला। जिसको अपना परिचय दिया तथा पूछने पर श्री विनोद कुमार सैनी ने स्वयं को मैसर्स:- कर्मा ट्रेडिंग कम्पनी रेल्वे लाईन के पास जडाव फाटक भलका बास दौसा का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाया। निरीक्षण के समय फर्म पर अन्य खाद्य पदार्थों के साथ बांधानी हींग पाउडर राजा रानी ब्राण्ड (Compounded Asafoetida Bandhani Hing Raja Rani Brand) का मूल पैक दुकान में पेपर कार्टन 50-50 ग्राम के 10 पैकेट रखे हुये पाये। जिसका निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री विनोद कुमार सैनी को नियमानुसार फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पेपर कार्टन को खोलकर 10 पैकेट बांधानी हींग पाउडर राजा रानी ब्राण्ड (Compounded Asafoetida Bandhani Hing Raja Rani Brand) में से 8 पैकेट वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री विनोद कुमार सैनी को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 1200/- (अक्षरे बारह सौ रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ बांधानी हींग पाउडर राजा रानी ब्राण्ड (Compounded Asafoetida Bandhani Hing Raja Rani Brand) को विक्रेता श्री विनोद कुमार सैनी एवं गवाहान को दिखाकर 50-50 ग्राम को इलेक्ट्रॉनिक मापक मशीन से तुलवाकर अलग-अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक डिब्बों में 2-2 मूल पैक प्रत्येक 50-50 ग्राम रखकर रखकर प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एजी-3495 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता श्री विनोद कुमार सैनी तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी-3495 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से चिपकाकर तैयार किया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। नमूना क्रय करते समय विक्रेता श्री विनोद कुमार सैनी मैसर्स कर्मा ट्रेडिंग कम्पनी जडाव फाटक भलका बास दौसा ने बतौर वारण्टी मैसर्स घनश्याम दास एण्ड ब्रदर्स पावर हाउस के सामने राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली के वारंटी बिल/इनवॉयस नम्बर 0290 दिनांक 07.05.2023 की छायाप्रति बतौर वारण्टी प्रस्तुत की।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय CM&HO दौसा को भेजकर दिनांक 11.05.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 11.05.2023 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ बांधानी हींग पाउडर राजा रानी ब्राण्ड (Compounded Asafoetida Bandhani Hing Raja Rani Brand) की जाँच रिपोर्ट संख्या एल. एस./908/एक्ट/2023/920 दिनांक 23.05.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित आये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./908/एक्ट/2023/920 दिनांक 23.05.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बांधानी हींग पाउडर राजा रानी ब्राण्ड (Compounded Asafoetida Bandhani Hing Raja Rani Brand) के नमूना की जांच रिपोर्ट में Alchoholic extract wih 90% alcohol 4.67 प्रतिशत ही पाई गई है जो कि मानक स्तर के अनुसार कम से कम 5 प्रतिशत होनी चाहिये। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अवमानक (Substandard) स्तर के खाद्य पदार्थ बांधानी हींग पाउडर राजा रानी ब्राण्ड (Compounded Asafoetida Bandhani Hing Raja Rani Brand) का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि मैं एक छोटा दुकानदार हूँ। हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण नहीं किया जाता है। हमने उक्त खाद्य पदार्थ जरिये बिल मैसर्स घनश्याम दास एण्ड ब्रदर्स पावर हाउस के सामने राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली से खरीदा है। इस खाद्य पदार्थ में हमारी ओर से कोई मिलावट नहीं की गई है। हमारे द्वारा यह खाद्य पदार्थ पैक अवस्था में खरीदकर पैक ही इसका विक्रय किया गया है।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ बांधानी हींग पाउडर राजा रानी ब्राण्ड (Compounded Asafoetida Bandhani Hing Raja Rani Brand) जांच रिपोर्ट में सबस्टैण्डर्ड स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ में Alchoholic extract wih 90% alcohol की मात्रा तय मानको से थोड़ी ही कम आई है। हमारी ओर से इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पाई गई है। खाद्य सुरक्षा के तय मानको की जानकारी हमें नहीं होने के कारण यह खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पाई गई है। केवल मात्र Alchoholic extract wih 90% alcohol की मात्रा तय मानक 5 प्रतिशत से थोड़ी कम 4.67 प्रतिशत पाई गई है। भविष्य में हमारे द्वारा ऐसी गलती नहीं की जायेगी। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर हमें दोषमुक्त करने की कृपा करे।



हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट एल. एस./908/एक्ट/2023/920 दिनांक 23.05.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बांधानी हींग पाउडर राजा रानी ब्राण्ड (Compounded Asafoetida Bandhani Hing Raja Rani Brand) का नमूना एफ.एस.एस. एक्ट 2006 की धारा 3(1)(Z)(X) का उल्लंघन होने से अमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त अमानक (Substandard) स्तर के खाद्य पदार्थ का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अमानक (Substandard) स्तर का खाद्य पदार्थ बांधानी हींग पाउडर राजा रानी ब्राण्ड (Compounded Asafoetida Bandhani Hing Raja Rani Brand) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री विनोद कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभुदयाल सैनी एफबीओ मैसर्स कर्मा ट्रेडिंग कम्पनी रेल्वे लाईन के पास जडाव फाटक भलका बास दौसा निवासी रेल्वे लाईन के पास जडाव फाटक भलका बास दौसा पर 10000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) एवं अभियुक्त संख्या 2 श्री टीकम चन्द गुप्ता पुत्र श्री विष्णु लाल एफबीओ/प्रोपरायटर मैसर्स घनश्याम दास एण्ड ब्रदर्स सिटी पावर हाउस के सामने कोतवाली रोड हिन्दौन सिटी जिला करौली निवासी भायला पुरा हिन्दौन सिटी जिला करौली पर 20000/- (अक्षरे बीस हजार रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 07.02.2024 के एक माह के अन्दर-अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210-04-800-03-00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( नरेश बुनकर )

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

दिनांक:- 07.02.2024

क्रमांक / FSSA / 2024 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री विनोद कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभुदयाल सैनी एफ.बी.ओ. मैसर्स कर्मा ट्रेडिंग कम्पनी रेल्वे लाईन के पास जडाव फाटक भलका बास दौसा निवासी रेल्वे लाईन के पास जडाव फाटक भलका बास दौसा।
4. श्री टीकम चन्द गुप्ता पुत्र श्री विष्णु लाल एफ.बी.ओ. मैसर्स घनश्याम दास एण्ड ब्रदर्स सिटी पावर हाउस के सामने कोतवाली रोड हिन्दौन सिटी जिला करौली निवासी भायला पुरा हिन्दौन सिटी जिला करौली।

( नरेश बुनकर )

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा